रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-27072024-255791
CG-JK-E-27072024-255791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946
No. 552] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 28 जून, 2024

सं. जेआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/10:— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 36) (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 43, धारा 44, धारा 45, धारा 48, धारा 50 और धारा 56 के साथ धारा 181(2)(न), धारा 181(2)(भ) के तहत प्रदत्त शक्तियों और विद्युत आपूर्ति से संबंधित अधिनियम के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी अधीनस्थ कानून, नियम, वैधानिक आदेश, संकल्प, स्पष्टीकरण सहित इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इसके द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विद्युत आपूर्ति संहिता) 2023 (सिद्धांत विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1.1 इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख(विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे:

1.3 ये विनियम पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू होंगे।

2. मूल विनियमन के खंड 2.3 (52) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(52) **"मालिक"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार है और मालिक शब्द में विधिक उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं;

3. मूल विनियमन के खंड 2.3 (59) के बाद एक नई परिभाषा जोड़ी गई है:

(59 क) 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' (इसके बाद एसोसिएशन के रूप में संदर्भित) का तात्पर्य सहकारी समूह आवास सोसायटी, बहुमंजिला इमारत, आवासीय कॉलोनी, या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के साथ पंजीकृत एक समान निकाय के सभी संपत्ति मालिकों से मिलकर बने एसोसिएशन से है।"

4. मूल विनियमन के खंड 5.53 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

5.53 आवेदन प्राप्ति की तिथि से नए बिजली कनेक्शन जारी करने की समग्र समय-सीमा निम्नानुसार होगी:

गतिविधि	महानगरीय क्षेत्र	शहरी क्षेत्र:	ग्रामीण क्षेत्र:	पहाड़ी भूभाग वाला ग्रामीण क्षेत्र
नया कनेक्शन/अतिरिक्त लोड जहां मौजूदा नेटवर्क से आपूर्ति प्रदान की जा सकती है	3 दिन	7 दिन	15 दिन	30 दिन
यदि आवश्यक हो तो संवर्द्धन कार्य या ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि।	क) एलटी- 20 दिन	क) एलटी-30 दिन	क) एलटी-45 दिन	क) एलटी-55 दिन
	ख) एचटी- 75 दिन	ख) एचटी-90 दिन	ख) एचटी-90 दिन	ख) एचटी-120 दिन
	ग) ईएचटी- 120 दिन	ग) ईएचटी-180 दिन	ग) ईएचटी-180 दिन	ग) ईएचटी-210 दिन
वितरण मेन का विस्तार, या नए सब स्टेशनों की स्थापना	ऐसे विस्तार या चालू होने के तुरंत बाद 90 (नब्बे) दिनों से अधिक अवधि के भीतर			

बशर्ते कि लाइसेंसधारी उन विशिष्ट मामलों में, जहां वितरण मेन्स के विस्तार के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, ऊपर निर्दिष्ट समय के विस्तार के लिए विवरण के साथ आयोग से संपर्क करें। ऐसे मामलों में, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को काम पूरा होने के संभावित समय के बारे में सूचित करेगा।

5. मूल विनियमन के खंड 5.59 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाए:

5.59 एसोसिएशन के लिए एकल बिंदु कनेक्शन या प्रत्येक मालिक के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया:

क. बहु-उपभोक्ता परिसरों, जैसे ग्रुप हाउसिंग, शोरूम (दुकान सह कार्यालय एससीओ), इत्यादि के मामले में, मांगे गए नए कनेक्शन को अधिमानतः यदि लोड 100 केवीए तक है तो एलटी पर और यदि लोड 100 केवीए से अधिक है तो एचटी पर एकल मीटर के साथ एकल बिंदु पर प्रदान किया जाएगा।जब तक संपूर्ण विद्युत अवसंरचना पूरी नहीं हो जाती, तब तक नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। लाइसेंसधारी संपूर्ण आंतरिक विद्युत अवसंरचना का भौतिक रूप से सत्यापन करने और विनियमन 5.36 की पूर्ति के बाद ही नए कनेक्शन का ऊर्जाकरण सुनिश्चित करेगा। हालांकि, यह व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी परिसर के व्यक्तिगत मालिक या अधिभोगी को प्रतिबंधित नहीं करेगा और लाइसेंसधारी खंड (च) से (झ) के तहत उल्लिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्तिगत कनेक्शन को मंजूरी देगा।कनेक्शन जारी होने से पहले एक बार एकल एलटी/एचटी कनेक्शन या व्यक्तिगत कनेक्शन का विकल्प चुनने के बाद, परिचालन संबंधी समस्या के कारण उसे रद्द नहीं किया जा सकता।

ख. यदि लाइसेंसधारी द्वारा तय किए गए किसी कनेक्शन का कनेक्टेड/अनुबंधित लोड 100 केवीए से अधिक होने का अनुमान है, तो उपभोक्ता की लागत पर पर्याप्त क्षमता का एक अलग ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।

ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, स्विच गियर, मीटर और पैनल रखने के लिए आवश्यक स्थान/कमरा उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, जो लाइसेंसधारी के लिए आसानी से सुलभ हो।

ग. 100 केवीए से कम भार वाले किसी भी नए कनेक्शन के लिए, यदि उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है तो लाइसेंसकर्ता उपभोक्ता की लागत पर एक अलग ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकता है।

घ. यदि बहु-उपभोक्ता परिसर में उपभोक्ताओं ने व्यक्तिगत कनेक्शन ले रखा है, तो सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, पानी पम्प करने के लिए पंप आदि के लिए ऊर्जा की खपत हेतु अलग कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, तथा ऐसे कनेक्शन की खपत का बिल संबंधित टैरिफ श्रेणी के उच्चतम स्लैब पर लगाया जाएगा।

ड. पंद्रह मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बहुमंजिला इमारत के लिए 11 केवी से अधिक के सभी कनेक्शनों के लिए, समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कनेक्शन जारी किया जाएगा।

च. वितरण लाइसेंसधारी एसोसिएशन के लिए एकल बिन्दु कनेक्शन या प्रत्येक मालिक के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन उपलब्ध कराएगा, जो ऐसी एसोसिएशन में मकान या फ्लैट मालिकों के बहुमत की पसंद के आधार पर होगा और यह पसंद वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आयोजित किए जाने वाले पारदर्शी मतदान के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी;

बशर्ते कि यदि पचास प्रतिशत से अधिक मालिक व्यक्तिगत कनेक्शन चाहते हैं तो प्रत्येक मालिक को व्यक्तिगत कनेक्शन दिया जाएगा।

छ. निम्नलिखित के लिए मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण अलग-अलग किया जाएगा:

(i) वितरण लाइसेंसधारी से प्राप्त व्यक्तिगत बिजली खपत;

(ii) एसोसिएशन द्वारा आपूर्ति की गई बैकअप बिजली की व्यक्तिगत खपत; तथा

(iii) ऐसे एसोसिएशन के सामान्य क्षेत्र के लिए विद्युत खपत, वितरण लाइसेंसधारी से प्राप्त की जाएगी।

ज. एकल बिंदु कनेक्शन के मामले में, मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण के लिए एसोसिएशन जिम्मेदार होगी तथा व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए ये जिम्मेदारियां वितरण लाइसेंसधारी के पास होंगी।

झ. एकल बिंदु कनेक्शन के मामले में:

(i) व्यक्तिगत बिजली खपत के लिए एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए बिल या प्री-पेमेंट मीटर के माध्यम से काटे गए शुल्क नो-प्रॉफिट-नो-लॉस के आधार पर होंगे।

(ii) एसोसिएशनों के लिए एकल बिंदु कनेक्शन के लिए वितरण लाइसेंसधारी का टैरिफ निम्न तनाव घरेलू श्रेणी के लिए औसत बिलिंग दर से अधिक नहीं होगा।

(iii) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए एसोसिएशन द्वारा की गई कुल बिलिंग, वितरण लाइसेंसधारी को भुगतान की गई समग्र टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iv) व्यक्तिगत उपभोक्ता के परिसर तक बिजली उपलब्ध कराने के लिए उप-वितरण नेटवर्क लागत के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त राशि ली जा सकती है।"

6. **मूल विनियमन के खंड 5.59 के पश्चात एक नया खंड 5.59क जोड़ा गया है:**

5.59क- 150 किलोवाट तक के विद्युतीकृत क्षेत्रों या आयोग द्वारा निर्दिष्ट उच्चतर भार के लिए नए कनेक्शन के लिए कनेक्शन प्रभार, वितरण लाइसेंसधारी के भार, मांगे गए कनेक्शन की श्रेणी और कनेक्शन की औसत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, ताकि साइट निरीक्षण से बचा जा सके और प्रत्येक मामले के लिए मांग प्रभार का अलग से आकलन किया जा सके।ऐसे मामलों में, मांग प्रभारका भुगतान नये कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय किया जा सकता है।

7. **मूल विनियमन के खंड 5.64 के बाद एक नया खंड जोड़ा गया है:**

5.64.क - इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्रणाली की आपूर्ति की प्रक्रिया:

किसी एसोसिएशन या एसोसिएशन में फ्लैट या घर के मालिक या किसी अन्य उपभोक्ता के अनुरोध पर, वितरण लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्रणाली के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए एक अलग कनेक्शन प्रदान करेगा;

स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि यह कनेक्शन उपलब्ध कराने की समय-सीमा विनियमन 5.53 के अनुरूप होगी।

8. मूल विनियमन के खंड 6.38 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया गया है:

6.38 उपभोक्ता के मीटर का परीक्षण करने से पहले लाइसेंसधारी को शहरी क्षेत्रों में 7 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिन तथा दूरदराज के क्षेत्रों में 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर परीक्षण की तिथि, समय तथा स्थान की जानकारी देनी होगी, ताकि परीक्षण के समय उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सके।

मीटरों का परीक्षण उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें मीटर रीडिंग उसके विद्युत उपभोग के अनुरूप नहीं है, मीटर बंद हो गया है, सील क्षतिग्रस्त हो गई है, मीटर जल गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, इत्यादि शामिल हैं:

बशर्ते कि यदि उपभोक्ता द्वारा मीटर रीडिंग के संबंध में शिकायत की जाती है जो उसकी बिजली की खपत के अनुरूप नहीं है, तो वितरण लाइसेंसधारी को शिकायत प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर खपत को सत्यापित करने के लिए न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए एक अतिरिक्त मीटर लगाना होगा।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी.के.धर (जेकेएएस), सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./321/2024-25]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

FOR

UT OF JAMMU & KASHMIR AND UT OF LADAKH

NOTIFICATION

Jammu, the 28th June 2024

No. JERC-JKL/Reg/2024/10:—In exercise of the powers conferred under Section 181(2)(t), Section 181(2)(x) read with Section 43, Section 44, Section 45, Section 48, Section 50 and Section 56 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as 'the Act'), and all other powers enabling it in this behalf including sub- ordinate legislation, rules, statutory orders, resolutions, clarifications issued by the Government in terms of the Act relating to supply of electricity, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Electricity Supply Code) 2023 (Principle Regulations):

1. **Short Title and Commencement**

1.1 These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Electricity Supply Code) (First Amendment) Regulations, 2024.

1.2 These regulations shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette:

1.3 These Regulations shall extend to the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

2. **Clause 2.3 (52) of Principal Regulations is substituted with the following clause**:

(52) "**owner**" means the person who is having absolute right over the property and the expression owner includes the legal heirs';

3. **After clause 2.3 (59) of Principal Regulations, a new definition is added**:

(59 A) 'Resident Welfare Association' (here in after referred to as the Association) means an association comprising all the property owners within a Co-operative Group Housing Society, Multi storied Building, Residential Colony, or a similar body registered with the State Government/UT Government.

4. **Clause 5.53 of Principal Regulations is substituted with the following clause**:

5.53 The overall timeline for releasing new electricity connection, from the date of receipt of application, shall be as under:

Activity	Metropolitan area	Urban area:	Rural area:	Rural area with hilly terrain
New connection/additional load where supply can be provided from existing network	3 days	7 days	15days	30days
Enhancement work or enhancement of transformer capacity if required.	a) LT- 20 days	a) LT-30 days	a) LT-45 days	a) LT-55 days
	b) HT- 75 days	b) HT-90 days	b) HT-90 days	b) HT-120 days
	c) EHT- 120 days	c) EHT-180 days	c) EHT-180 days	c) EHT-210 days
extension of distribution mains, or commissioning of new sub stations	immediately after such extension or commissioning within a period not exceeding 90 (Ninety) days			

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified above, in specific cases where extension of Distribution mains requires more time, along with details. In such cases, the Licensee shall inform the consumer about the likely time of completion of works.

5. **Clause 5.59 of the Principal Regulations is substituted with the following clause:**

5.59 Procedure for providing a single point connection for the Association or individual connections for each and every owner:

a. In case of multi-consumer complexes, such as Group Housing, Showrooms (Shop Cum Offices SCOs), etc., the new connection sought shall preferably be provided at single point with single meter on LT if load is up to 100 kVA and on HT if load exceeds 100 kVA. A new connection will not be granted until the entire electrical infrastructure is completed. The Licensee shall ensure energization of new connection only after physically verifying the entire internal electrical infrastructure and fulfilment of Regulation 5.36. However, this shall not restrict the individual owner or occupier of any premises for applying for individual connection and the Licensee shall sanction such individual connections, subject to conditions mentioned under clause (f) to (i). The choice of having single LT/HT connection or individual connections, once exercised before release of connection, cannot be revoked due to operational problem.

b. In case the connected/contracted load of any connection as decided by the Licensee is projected to be more than 100 kVA, a separate transformer of adequate capacity shall be installed at consumer's cost. The space/room required for housing the transformer, substation, switch gears, meters and panels shall be provided by the consumer, free of cost, which is easily accessible to the Licensee.

c. For any new connection with connected /contracted load lower that 100 kVA also, License may install a separate transformer if requested by the consumers, at consumer`s cost.

d. In case the consumers in multi-consumer complex have availed individual connections, separate connection shall be provided for consumption of energy for common services such as lifts, pumps for pumping water, etc., and such consumption of such connection shall be billed at highest slab of respective tariff category.

e. For all the connections exceeding 11 kV for multi-storied building of more than fifteen metre in height, the connection shall be released after obtaining the certificate from Electrical Inspector in accordance with the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time.

f. The distribution licensee shall provide either a single point connection for the Association or individual connections for each and every owner, on the basis of choice of the majority of the house or flat owners in such Association and the choice shall be ascertained by means of a transparent ballot to be held by the distribution licensee;

Provided that if more than fifty percent of the owners prefer individual connection then individual connection shall be given to each owner.

g. The metering, billing, and collection shall be done separately for

(i) individual electricity consumption sourced from the distribution licensee;

(ii) individual consumption of backup power supplied by the Association; and

(iii) electricity consumption for common area of such Association sourced from the distribution licensee.

h. In the case of a single point connection, the Association shall be responsible for metering, billing, and collection and for individual connections, these responsibilities shall vest with the distribution licensee.

i. In the case of a single point connection:

(i) the charges deducted through pre-payment meters or bills raised by the Association for individual electricity consumption shall be on no-profit-no-loss basis.

(ii) the distribution licensee’s tariff for single point connection to Associations shall not exceed the average billing rate for low tension domestic category.

(iii) the total billing done by Association for the electricity supplied by the distribution licensee shall not exceed the overall tariff paid to the distribution licensee.

(iv) an additional amount as prescribed by the Appropriate Commission may be charged towards the sub-distribution network cost incurred for providing electricity up to the premises of the individual consumer.”

6. **After Clause 5.59 of the Principal Regulations, a new clause 5.59A is added:**

5.59A - For electrified areas up to 150 kW or such higher load as the Commission shall specify the connection charges for new connection shall be fixed on the basis of the load, category of connection sought and average cost of connection of the distribution licensee so as to avoid site inspection and estimation of demand charges for each and every case individually. The demand charges, in such cases, may be paid at the time of application for new connection.

7. After Clause 5.64 of the Principal Regulations, a new clause is added:

5.64A -Procedure for supply to Electric Vehicle charging system:

On the request of an Association or an owner of the flat or house in an Association or any other consumer, the distribution licensee shall provide a separate connection for supply of electricity for Electric Vehicle charging system;

Explanation. - it is clarified that the time line for providing this connection shall be in accordance with the **Regulation 5.53**.

8. **Clause 6.38 of Principal Regulations is substituted with the following clause:**

6.38 Before testing a consumer's meter, the Licensee shall give 7 days advance notice in urban areas, 10 days advance notice in rural areas and 15 days advance notice in remote areas intimating the date, time and place of testing so that the consumer or his authorized representative may be present at the time of testing.

The testing of meters shall be done by the distribution licensee within thirty days of receipt of the complaint from the consumer about their meter readings not being commensurate with his consumption of electricity, stoppage of meter, damage to the seal, burning or damage of the meter, and the like:

Provided that in case of complaint by a consumer regarding meter reading not being commensurate with his consumption of electricity, distribution licensee shall install an additional meter within five days from the date of receipt of the complaint, to verify the consumption, for a minimum period of three months."

BY ORDER OF THE COMMISSION.

V.K. DHAR (JKAS), Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./321/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.27 11:07:01 +05'30'